

राजस्थान सरकार

पशुपालन विभाग

क्रमांक 02(13)पपा/2000/पार्ट

जयपुर दिनांक 20.06.2012

साधन
मरुधर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
बाड़मेर (राजस्थान)

विषय- पशुपालन विधालय (दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)
जारी करने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र के संबंध में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा आपकी संस्था को साधन, जालौर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

यह अनापत्ति निम्न शर्तों पर जारी की जाती है।

1. संस्था निदेशक पशुपालन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तकनीकी संसाधनों से अपने संस्थान को विधालय प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से सुसज्जित करेगी। मापदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी। फिर भी ऐसा कोई निर्णय लिये जाने से पूर्व निदेशक, पशुपालन विभाग संस्था की अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान करेंगे।
2. छात्रों की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निजी संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों की संस्था को पालना करनी होगी।
4. शुल्क निर्धारण एवं प्रवेश संबंधी प्रक्रिया राज्य सरकार एवं पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।
5. संस्था को राज्य सरकार किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता, गारंटी व अनुदान नहीं देगी।
6. संस्था पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर से संबद्धता/मान्यता अपने स्तर पर प्राप्त करेगी।
7. संस्था और प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए संस्था जिम्मेदार होगी।
8. राज्य सरकार/निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति संस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेंगे।
9. पाँच वर्षों तक संस्था में प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशुचिकित्सा संस्था एवं विभाग के कृषि फार्मों को उपयोग में लिया जा सकता है, इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। पाँच वर्ष पश्चात संस्था को अपनी स्वयं की उपरोक्त सुविधाएँ जुटानी आवश्यक होगी।
10. संस्था को 50 प्रशिक्षणार्थियों (छात्र/छात्राएँ) की भर्ती हेतु अनुमति दी जाती है।

भवदीय

(Signature)
20/6/12
शासन उप सचिव

जयपुर दिनांक

क्रमांक प 2 (13)पपा/2000/पार्ट
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय पशुपालन मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
6. रजिस्ट्रार पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविधालय, बीकानेर।
7. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पंजिका

(Signature)
PRINCIPAL

KAMDHENU PASHUDHAN SAHAYAK
PRASHIKSHAN SANSTHAN
SANCHORE (JALORE)(61)



Scanned with
CamScanner

0.768



Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (36) / RAJUVAS / Reg. / 2013 / 1,94

Dated: 18.7.13

1. सचिव,
यूनिवेट शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवलगढ़ रोड, जनता कॉलोनी, सीकर
2. सचिव,
महाराणा प्रताप पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र,
भुतेश्वर मन्दिर के पास,
मेमोघन मोड़, बड़ी रोड़ बसेड़ी, धौलपुर, राजस्थान
3. सचिव,
कामधेनू पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान सोमालसर का गोलिया,
वार्ड नं. 1 सांचौर (जालौर)
4. सचिव
मुनि श्री कमल विजय जी म.सा. विकास एण्ड शिक्षण शोध संस्थान
भीनमाल, जालौर

विषय:- शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए सम्बद्धता शुल्क
भिजवाने हेतु।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी संस्था द्वारा प्रस्तावित
कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए सम्बद्धता दिये जाने की
प्रक्रिया विचाराधीन है। अतः आप सम्बद्धता शुल्क बतौर 50,000/- रु का डी.डी.
वित्तनियन्त्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम से
तुरन्त भिजवायें, ताकि आपके महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की जा सके।

भवदीय
18/7/13
कुलसचिव

Principal
KAMDHENU PASHUDHAN SAHAYAK
PRASHIKSHAN SANSTHAN
SANCHORE (JALORE)(61)